



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: jcp.kvs@gmail.com, Tel: 011-26858565

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi
F.11-Adm1072(ANPR)/3/2022-Admn.I/932 दिनांक: 08.04.2024

आदेश

माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) तिरुपति, येपेंडू-वेंकटगिरी रोड, येपेंडू पोस्ट, जिला-तिरुपति, आंध्र प्रदेश - 517619 (उच्च शिक्षा संस्थान क्षेत्र) के अधीन नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदान कर दी गई है। नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी।

प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
3. 15% प्रशासनिक ऊपरी खर्च (AOC) एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च सम्बन्धी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त अप्रैल महीने में और दूसरी किस्त अक्टूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्राधिकृत होंगे।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु आई एच एल क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

इस विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया दिशानिर्देशों अनुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर पूरी की जा सकती है।

(सोमित श्रीवास्तव)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण: -

1. माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केविसं. के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमैन केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
3. संयुक्त सचिव (संस्थान) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. उप सचिव(के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के कार्यकारी सहायक/निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस अनुरोध के साथ कि नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशा. I)/(प्रशिक्षण)/(प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. अधीक्षक अभियंता, (कार्य शाखा), केविसं. (मु.) नई दिल्ली।
10. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), तिरुपति, आंध्र प्रदेश - 517619.
11. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। विशेषतः तीस दिनों के भीतर छात्रों का नामांकन के लिए योजना बनाना व उसे लागू करना।
12. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
13. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली।
15. निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर/मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/भुवनेश्वर।
16. सभी अधिकारी/अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।
17. अध्यक्ष/ सचिव के.वि.सं. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
18. गार्ड फाइल।